**<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>**
**<u>पर्यटन अनुभाग</u>**
**संख्या-101/2023 /769/41-2023-16(बजट)/2023**
**लखनऊ दिनांक 14 फरवरी, 2023**

**<u>संख्या-81/2023/5784/001-41-2022-16-budget-2023, दिनांक 08 फरवरी, 2023</u>**

## <u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 8494/इको टूरिज्म (2)/2022, दिनांक 10 फरवरी, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में रानीपुर टाईगर रिजर्व कर्वी, चित्रकूट के ईको पर्यटन विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-81/2023/5784 /001-41-2022-16-budget-2023, दिनांक 08 फरवरी, 2023 के पृष्ठांकन बिन्दु सं0-05 में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 08 फरवरी, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

रामेश्वर सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

**1-** प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
**2-** महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
**3-** महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
**4-** जिलाधिकारी, चित्रकूट।
**5-** मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
**6-** मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानकी, उ0प्र0 लखपऊ।
**7-** प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट।
**8-** वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
**9-** उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
**10-** क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
**11-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
**12-** गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in